न्यायालय :– जिला न्यायाधीश, बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

प्रकरण संख्या : 10/2026 (CIS No. 18/2026)
दीवानी विविध (उतराधिकार)

श्रीमती दलूदेवी पत्नी भंवराराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी सोनगरो की ढाणी (भेडाणा) तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर,
हाल निवासी–नेहरू नगर, बाड़मेर शहर, तहसील व जिला बाड़मेर
– प्रार्थीनी

बनाम

(1.) हर आम व खास
(2.) खेताराम पुत्र भंवराराम, उम्र 19 वर्ष
(3.) हुकमाराम पुत्र भंवराराम, उम्र 18 वर्ष
निवासी सोनगरों की ढाणी (भेडाणा) तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

– विप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा **372** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते प्राप्त करने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

उपस्थित :–
प्रार्थीनी की ओर से : श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से : श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता

आदेश **दिनांक :** 23.07.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.02.2026 को प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी ने विपक्षीगण हर आम व खास वगैरह के विरुद्ध यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीनी के पति भंवराराम पुत्र भगवानाराम ने अपने जीवनकाल में भारतीय स्टेट बैंक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत एक बीमा पॉलिसी करवाई थी जिसके पॉलिसी संख्या 76001000135 हैं। प्रार्थीनी के पति भंवराराम का स्वर्गवास दिनांक 15.09.2023 को कृषि कार्य करते

समय कृषि कुए की लाईट चालू करते समय अचानक करण्ट आने से मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में पुलिस थाना गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर में मर्ग संख्या 27/2023 दर्ज की गई। स्व. भंवराराम द्वारा अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की बीमा पॉलिसी में अपने पिता भगवानाराम को नॉमिनी मनोनीत किया था, लेकिन भगवानाराम का स्वर्गवास भंवराराम से पूर्व दिनांक 17.10.2021 को हो गया था। प्रार्थीनी के पति का स्वर्गवास होने पर प्रार्थीनी ने भारतीय स्टेट बैंक में क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बैंक के कर्मचारियों ने मृतक बीमाधारी के नियुक्त नॉमिनी का भी स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रार्थीनी को उतराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिस पर यह उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश हैं। स्व. भंवराराम के विधिक उतराधिकारियों में प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 हैं। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थीनी के पुत्रान हैं। इन दोनो ने वादग्रस्त रकम के लिए उतराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थीनी अकेले के नाम से जारी करने के लिये सहमति भी प्रदान की हैं, फिर भी उतराधिकारी होने से विप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाया गया हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) द्वारा उक्त पॉलिसी में देय राशि 2,00,000/– रूपये प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रार्थीनी उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) द्वारा प्रार्थीनी के पति स्वर्गीय भंवराराम के नाम से जारी पॉलिसी संख्या 76001000135 पर मृत्यु दावा के रूप में देय राशि 2,00,000/– रूपये प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रार्थीनी को स्व. भंवराराम का विधिक उतराधिकारी होने का उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आदेश फरमावें।

2. आवेदन दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किए गए व अखबार में नोटिस प्रकाशित करवाकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी, किन्तु अन्य कोई उजरदार उपस्थित नहीं हुआ।

3. न्यायालय के द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जारी नोटिस बाद तामील लौटने तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई भी असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर विप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 13.04.2026 को तथा विप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध दिनांक 13.05.2026

को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. प्रार्थीनी के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है कि :–

> ''आया प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी मृतक भंवराराम की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधिक वारिस/पत्नी होते हुए मृतक भंवराराम द्वारा अपने जीवनकाल में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जारी पॉलिसी संख्या 76001000135 पर मृत्यु दावा के रूप में देय राशि 2,00,000/– रूपये प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारिणी है?''

5. प्रार्थीनी ने उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में स्वयं प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी ए.डब्ल्यू. 1 को साक्ष्य में प्रस्तुत किया। दस्तावेजी साक्ष्य में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का पत्र दिनांक 21.08.2024 प्रदर्श 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम फॉर्म जो बैंक में पेश किया प्रदर्श 2, भगवानाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, प्रार्थीनी स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श 4, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 4ए, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण अन्तर्गत धारा 174 द.प्र.सं. प्रदर्श 5, भंवराराम की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 6, भंवराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 तथा दैनिक मरू लहर में हेतुक दर्शिक करने के लिए सूचना प्रदर्श 8 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

6. दिनांक 02.07.2026 को विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमाराम चौधरी ने वकालातनामा पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी वास्ते एकतरफा आदेश दिनांक 13.05.2026 को मन्सुख करने का पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थीनी ने अनापति जाहिर की एवं जवाब पेश करना नही चाहा। जिस पर न्यायालय द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध दिनांक 13.05.2026 को की गई एक तरफा कार्यवाही को अपास्त किया गया।

7. विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि प्रार्थीनी, विप्रार्थीगण की माता हैं तथा स्व. भंवराराम उनके पिता थे। प्रार्थीनी ने विप्रार्थीगण के पिता के नाम से

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा राशि को प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया हैं, जिसमें विप्रार्थीगण की माता प्रार्थीनी को स्व. भंवराराम का विधिक उतराधिकारी घोषित किया जाता हैं तो विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति व उजर–एतराज नही हैं।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। विचारणीय बिन्दु के संबंध में मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :–

9. प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी ए.डब्ल्यू. 1 ने अपने साक्ष्य रूपी शपथ पत्र में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृत्ति की है। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई हैं।

10. प्रार्थीनी संख्या 1 श्रीमती दलूदेवी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थीनी स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श 4, भंवराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7, भंवराराम की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 6, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का पत्र दिनांक 21.08.2024 प्रदर्श 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम फॉर्म जो बैंक में पेश किया प्रदर्श 2, भगवानाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 इत्यादि का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के खण्डन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही प्रार्थीनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति ही पेश हुई है। भंवराराम की मृत्यु होना भी पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र भंवराराम प्रदर्श 7 से स्पष्ट है तथा पॉलिसी में अंकित नॉमिनी भगवानाराम की मृत्यु होना भी पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र भगवानाराम प्रदर्श 3 से स्पष्ट हैं। ऐसी दशा में प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में मृतक भंवराराम के नाम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जारी पॉलिसी संख्या 76001000135 पर मृत्यु दावा के रूप में देय राशि 2,00,000/– रूपये का भुगतान प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी को किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना भी बताया है, इसलिए प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी अपने

पति भंवराराम की मृत्यु होने पर उसके नाम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जारी पॉलिसी संख्या 76001000135 पर मृत्यु दावा के रूप में देय राशि 2,00,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते उत्तराधिकार प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

11. अतः प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी पत्नी भंवराराम, निवासी सोनगरो की ढाणी (भेडाणा) तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर, हाल निवासी–नेहरू नगर, बाड़मेर शहर, तहसील व जिला बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी को अपने पति भंवराराम की मृत्यु होने पर उसके नाम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जारी पॉलिसी संख्या 76001000135 पर मृत्यु दावा के रूप में देय राशि 2,00,000/– रूपये प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रार्थीनी श्रीमती दलूदेवी को भंवराराम का विधिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है।

प्रार्थीनी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क पेश करने पर प्रार्थीनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

12. निर्णय आज दिनांक 23.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
जिला न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर (राज.)

VINITA DHANWANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.07.27 13:01:15 +0530